# अध्याय-III
# वित्तीय विवरण

## अध्याय - III

## वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण सहित राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन में महत्त्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की प्रास्थिति पर विवरण की समयबद्धता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निदेशों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों का विवरण, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है, तो राज्य सरकार को नीतिगत योजना तथा निर्णय क्षमता सहित इसकी मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निदेशों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति उपलब्ध करवाता है।

### 3.1 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि अनुदानग्राहियों को विभागीय अधिकारियों से विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्य कोई निर्देश निर्दिष्ट न हो। तथापि, मार्च 2018 तक ₹ 5,317.40 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 5,004 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,799.78 करोड़ (53 *प्रतिशत*) की कुल राशि के 2,710 (54 *प्रतिशत*) प्रयुक्ति प्रमाणपत्र लम्बित थे। बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब का सार **तालिका 3.1** में दिया गया है।

**तालिका 3.1: 31 मार्च 2018 तक प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया**

| क्रमांक | विलम्बावधि (संख्या वर्षों में) | प्रदत्त कुल अनुदान | | बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
| 1. | 0 - 1 | 2,443 | 2,435.46 | 1,559 | 1,797.96 |
| 2. | 2 - 3 | 1,693 | 2,178.33 | 677 | 797.23 |
| 3. | 4 | 361 | 304.52 | 159 | 103.80 |
| 4. | 5 - 6 | 507 | 399.09 | 315 | 100.79 |
| | **योग** | **5,004** | **5,317.40** | **2,710** | **2,799.78** |

*स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)*

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के बकाया/लम्बित मामलों में से अधिकांश 44 *प्रतिशत* ग्रामीण विकास (1,182 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 1,200.95 करोड़) तथा अन्य मुख्य विभाग शहरी विकास (126 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 455.26 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (113 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 186.04 करोड़), आवास (153 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 60.28 करोड़), उद्योग (94 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 36.81 करोड़), कला एवं संस्कृति (132 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 5.25 करोड़), आबकारी एवं कराधान विभाग (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व कार्यभार)(258 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 9.95 करोड़) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (163 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 27.42 करोड़) वन (131 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 6.71 करोड़) इत्यादि से सम्बन्धित थे।

**प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की लम्बित प्रस्तुति, विभाग द्वारा अनुदानकर्ताओं को जारी अनुदानों के उपयोग की निगरानी में कमी को दर्शाती है। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना, सार्वजनिक सम्पत्ति पर विधायी-नियंत्रण के उद्देश्य को विफल बनाता है तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी**

**निधियों के अवरूद्ध होने, दुरूपयोग अथवा अप्राधिकृत उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तन के जोखिम को बढ़ाता है।**

**राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों को जारी अनुदान के सम्बंध में प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

## 3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, शहरी विकास, कल्याण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है, जहां राज्य के 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 में से केवल एक, हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला ने ही 2017-18 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। सितम्बर 2018 तक शेष 13 संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत करने में देरी एक से चार वर्ष के बीच रही। लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधान सभा पटल पर रखने की प्रास्थिति **परिशिष्ट 3.2** में इंगित की गई है। वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.2** में दिखाया गया है।

**तालिका 3.2: वार्षिक लेखाओं का वर्ष-वार बकाया**

| क्रमांक | वर्षों का विलम्ब | निकायों/प्राधिकरणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 0-1 | 03 |
| 2. | 2-3 | 09 |
| 3. | 3-4 | 01 |
| | **योग** | **13** |

**लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है इसलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा लेखापरीक्षा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।**

## 3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाएं/संगठन जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट करते हैं, उन्हें पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से सम्बंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण की संस्वीकृति देते हैं, ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान या ऋण दिए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजें जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

तथापि, किसी भी विभाग/स्वायत्त निकाय (कुल 20 विभागों/स्वायत्त निकायों में से) ने इस तरह का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था। ऐसी जानकारी के अभाव में, सभी निकायों/प्राधिकरणों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें अधिनियम की धारा 14 व 15 के तहत की जाने वाली लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समेकित निधि में

से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों में से व्यय की परिशुद्धता एवं औचित्य की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

**इन संस्थानों/इकाइयों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुति के लिए उपयुक्त उपाय, राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित/आश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी वित्तीय अनियमितता, जानकारी में आने से छूट न जाए।**

## 3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, इत्यादि मामलों के सम्बंध में वर्णन किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 2018 तक इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जुलाई 2018 तक राज्य सरकार ने ₹ 80.03 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि,चोरी इत्यादि के 48 मामले सूचित किये जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इन सभी मामलों में सम्बंधित विभागों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करवाई गई थी। इनमें से 46 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.4** में दी गयी है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' में लम्बित मामलों की संख्या जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई, को **तालिका 3.3** में सारांशित किया गया है।

**तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी की रूपरेखा**

| लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा | | | | लम्बित मामलों की प्रकृति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि वर्षों में | मामलों की संख्या | अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में) | | मामलों की प्रकृति/लक्षण | मामलों की संख्या | अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में) |
| 0 – 5 | 02 | 4.41 | | चोरी | 08 | 8.08 |
| 5 – 10 | 09 | 13.41 | | | | |
| 10 – 15 | 05 | 12.03 | | | | |
| 15 – 20 | 13 | 41.44 | | दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि | 40 | 71.95 |
| 20 – 25 | 03 | 4.91 | | | | |
| 25 व इससे ऊपर | 16 | 3.83 | | | | |
| **योग** | **48** | **80.03** | | **योग** | **48** | **80.03** |

आगे का विश्लेषण इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण **तालिका-3.4** में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

**तालिका 3.4: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के बकाया मामलों के कारण**

| विलम्ब/बकाया मामलों के कारण | | मामलों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| (i) | विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित | 26 | 31.38 |
| (ii) | वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित | 01 | 2.57 |
| (iii) | न्यायालय में लम्बित | 06 | 26.72 |
| (iv) | वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित | 14 | 18.94 |
| (v) | अन्य | 01 | 0.42 |
| | **योग** | **48** | **80.03** |

**चोरी, दुर्विनियोजन (दुरूपयोग) तथा हानियों से सम्बंधित मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी एवं समयबद्ध तंत्र का होना जरूरी है।**

## 3.5 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 में प्रावधान है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी वस्तुओं की खरीद अथवा सेवाएं किराये पर लेने अथवा अन्य किसी विशेष उद्देश्य हेतु सरकारी कर्मचारी को इस शर्त पर अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है कि सम्बंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा समायोजन बिल, शेष सहित यदि कोई है, अग्रिम आहरण के पंद्रह दिन के भीतर जमा करवाया जाएगा।

अभिलेखों की नमूना-जांच तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से उजागर हुआ कि 31 मार्च 2018 तक चार विभागों द्वारा उनके अभिलेखों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि से सम्बंधित ₹ 26.03 करोड़ के अस्थायी अग्रिमों के 61 मामले उसी वित्त वर्ष में समायोजन वाऊचरों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण समायोजन हेतु लम्बित थे तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्र भी प्रतीक्षित थे।

लम्बित अग्रिमों का अवधि-वार विश्लेषण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

**तालिका 3.5: मार्च 2018 तक लम्बित अग्रिमों के मामलों का अवधि-वार विश्लेषण**

| क्रमांक | विभाग | लम्बित वर्ष | मामलों की संख्या | राशि ( ₹ लाख में ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक, आयुर्वेद, शिमला | 2013-14 | 02 | 100.00 |
| | | 2014-15 | 04 | 55.50 |
| | | 2015-16 | 16 | 312.50 |
| | | 2016-17 | 10 | 368.71 |
| | | 2017-18 | 13 | 339.47 |
| 2. | निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिमला | 2014-15 | 13 | 1,398.33 |
| 3. | निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, शिमला | 2016-17 | 01 | 3.25 |
| | | 2017-18 | 01 | 25.00 |
| 4. | निदेशक, भू-अभिलेख, शिमला | 2016-17 | 01 | 0.30 |
| | | **योग** | **61** | **2,603.06** |

निर्धारित समयावधि में अग्रिमों की अवसूली/असमायोजन, वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है तथा जन-धन के दुरूपयोग तथा दुषित कार्यप्रणाली के जोखिम को बढ़ाता है।

## 3.6 लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक

### 3.6.1 मुख्य उचंत लेखाओं के तहत् बकाया राशि

सरकार के लेखा, रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखा में दृष्टिगोचर कुछ लेन-देन जिनकी प्राप्तियां एवं भुगतान सूचना के अभाव अथवा किसी अन्य कारण से तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाए जा सकते हैं, 'उचंत लेखा शीर्ष' के अंतर्गत अस्थायी रूप से डाले जाते हैं। संबंधित ब्यौरों/सूचना की प्राप्ति पर ये लेखा शीर्ष अंततः माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा निपटाए जाते हैं जब इनके अंतर्गत राशि इनके सम्बंधित अंतिम लेखा शीर्ष के प्रति बुक की जाती हैं। यदि ये लेखा निपटाए नहीं जाते तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाएंगे और सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय को शुद्धतापूर्वक नहीं दर्शाएंगे। ऋण, जमा तथा छूट शीर्षों में वो लेन-देन होते हैं जहां सरकार जनता के धन के संरक्षक के रूप में ऐसी धन राशि को प्राप्त करती है और रखती है।

राज्य के वित्त लेखा 2017-18 की परिशुद्धता अंतिम वर्गीकरण के लिए प्रतीक्षित उचंत शीर्षों के अंतर्गत बड़ी संख्या में लेन-देन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। लेन-देन की सामान्य समीक्षा से निम्नवत् इंगित हुआ:

कुछ मुख्य उचंत लेखा शीर्षों जैसा कि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही में अभिलिखित है, के अंतर्गत शेष **तालिका 3.6** में इंगित किए गए हैं।

**तालिका 3.6: उचंत शीर्ष ( 8658 – उचंत लेखा )**

**(₹ करोड़ में)**

| लघु शीर्ष का नाम | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट |
| 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत | 55.66 | 18.15 | 77.13 | 29.96 | 86.03 | 36.55 |
| **निवल** | **37.51 डेबिट** | | **47.17 डेबिट** | | **49.48 डेबिट** | |
| 102-उचंत लेखा (सिविल) | 194.87 | 212.23 | 275.05 | 275.24 | 171.47 | 164.12 |
| **निवल** | **17.36 क्रेडिट** | | **0.19 क्रेडिट** | | **7.35 डेबिट** | |
| 112-स्रोत पर कर कटौती-उचंत | 284.65 | 303.47 | 380.08 | 394.95 | 400.08 | 453.76 |
| **निवल** | **18.82 क्रेडिट** | | **14.87 क्रेडिट** | | **53.68 क्रेडिट** | |
| 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा | 143.71 | 407.35 | 175.64 | 399.29 | 270.59 | 347.59 |
| **निवल** | **263.64 क्रेडिट** | | **223.65 क्रेडिट** | | **77.00 क्रेडिट** | |

वित्त लेखे इन शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। बकाया शेष की बकाया डेबिट तथा क्रेडिट को पृथक रूप से जोड़ कर गणना की जाती है। इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थों की चर्चा आगे के परिच्छेदों में की गई है:

- **वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत-( लघु शीर्ष 101 )**

इस शीर्ष से अभिप्राय है कि महालेखाकार एवं विभिन्न पृथक वेतन एवं लेखा अधिकारियों के मध्य लेन-देन का निपटारा करना। महालेखाकार की लेखा बहियों में, वेतन एवं लेखा अधिकारी से चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति होने पर तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के सम्बंध में जारी किए चैक/निपटाए गए डिमांड ड्राफ्ट को इस शीर्ष के अंतर्गत मूलरूप से दर्ज किए जाते हैं। *इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष का अर्थ है कि भुगतान महालेखाकार द्वारा वेतन एवं अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है जिसे अभी तक वसूला जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया जमा शेष से अर्थ है कि महालेखाकार द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से राशि प्राप्त कर ली गई है जिसका अभी तक भुगतान करना था। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल नामे शेष 2015-18 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो 2015-16 के ₹ 37.51 करोड़ से 2017-18 में ₹ 49.48 करोड़ तक बढ़ गए। इनके निपटान/समायोजन पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी।*

- **उचंत लेखा-सिविल ( लघु शीर्ष 102 )**

लेन देनों के दौरान ध्यान में आई भिन्नताओं को अंतिम रूप से दर्ज करने हेतु महालेखाकार द्वारा इस लघु शीर्ष का परिचालन किया जाता है, जिन्हें कि निश्चित सूचना/दस्तावेजों अर्थात् चालान, वाऊचर, आदि के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखा में प्राप्तियां जमा की जाती है एवं व्यय को नामे डाला जाता है तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः ऋणात्मक जमा एवं ऋणात्मक नामे के रूप में निपटान किया जाता है। *इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष से तात्पर्य है 'भुगतान किया गया' परंतु इसे निश्चित विवरणों के अभाव में अंतिम शीर्ष के अंतर्गत नामे नहीं किया जा सका* तथा बकाया जमा शेष प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसे विवरणों के अभाव में लेखा के अंतिम

प्राप्ति शीर्ष में नामे नहीं डाला जा सका। *तथापि, 31 मार्च 2018 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.35 करोड़ का बकाया नामे शेष था।*

➢ **स्रोत पर कर कटौती उचंत ( लघु शीर्ष 112 )**

इस लघु शीर्ष का उद्देश्य है, राज्य कोषागार अधिकारियों/राज्य वेतन एवं लेखे अधिकारियों/अन्य विभागीय अधिकारियों, जो राज्य के संकलित लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं, के द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन बिलों तथा पेंशन बिलों इत्यादि जैसे स्रोतों पर आयकर कटौती पर प्राप्तियों के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंचल लेखा कार्यालयों के साथ लेन-देन के निपटारे में उन्हें सक्षम बनाने हेतु राज्य के महालेखाकार की लेखा बहियों में भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर किए गए ब्याज भुगतान दर्ज करना। स्रोत पर कर कटौती के कारण हुई प्राप्तियां मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखे के तहत् लघु शीर्ष 112-स्रोत पर कर कटौती उचंत लेखे, में जमा की जाती है। इस जमा राशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निपटान किया जाता है और आयकर विभाग को जमा किया जाता है। तथापि, 31 मार्च 2018 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 53.68 करोड़ बकाया जमा शेष थे।

➢ इसी प्रकार, 31 मार्च 2018 तक इस शीर्ष के तहत् 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा में ₹ 77 करोड़ का बकाया जमा शेष था।

## 3.7 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श पर, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सकते हैं। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए। वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना तथा इसकी कमियां, **तालिका 3.7** में विवेचित की गई है:

**तालिका 3.7: लेखांकन मानकों का अनुपालन**

| क्रमांक | लेखांकन मानक | राज्य सरकार द्वारा अनुपालन | अनुपालना में पाई गई कमियां |
|---|---|---|---|
| 1 | **भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां* | अनुपालन (वित्त लेखे का विवरण 9 व 20) | -- |
| 2 | **भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2:** *सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण* | अनुपालन (वित्त लेखे का विवरण 10) | 2017-18 के दौरान, पूंजीगत व्यय शीर्षों के तहत् ₹1.21 करोड़ (₹ 0.85 करोड़+ ₹ 0.36 करोड़) राशि के सहायता अनुदान राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए, जो भारतीय शासकीय लेखांकन मानक-2 का उल्लंघन थे। |
| 3 | **भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम* | अनुपालन (वित्त लेखे का विवरण 18) | -- |

*स्रोत: भारतीय शासकीय लेखांकन मानक एवं वित्त लेखे।*

## 3.8 निष्कर्ष

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अमुक स्वायत निकायों/प्राधिकरणों ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान का पालन किया है। अधिकतर स्वायत निकायों द्वारा काफी अवधि से अंतिम लेखाओं को तैयार नहीं किया गया। परिणामत:, उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, अस्थाई अग्रिम के मामले समायोजन हेतु, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि व गबन के मामले लम्बी अवधि से विभागीय कार्रवाई के लिए लम्बित थे।

शिमला
दिनांक : 13 अगस्त 2019

**( इन्द्र दीप सिंह धारीवाल )**
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

*प्रतिहस्ताक्षरित*

नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त 2019

**( राजीव महर्षि )**
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक